भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 304

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2024

नशामुक्ति केंद्र

304. # श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की नशामुक्त भारत के लिए नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्य योजना है;

(ख) नशीली दवाओं के अत्यधिक दुरुपयोग से प्रभावित जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नशीली दवाओं के सेवन को कम करने के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने में आ रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या नशा मुक्ति केंद्रों पर अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण नशे के आदी लोगों को इन केंद्रों पर सही इलाज नहीं मिल पाता है; यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): नशा मुक्त भारत के लिए नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नेशनल ड्रग डिपेन्डेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के माध्यम से भारत में नशीले पदार्थों के सेवन की सीमा और पैटर्न पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, 2019 का आयोजन किया गया था। इसके अनुसार देश में नशीले पदार्थ-वार, राज्य-वार इसकी व्याप्तता और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या को **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): इसके कुछ कारण निम्नानुसार हैं:-

i. जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, वे इससे होने वाली बदनामी के कारण मदद और उपचार के लिए बाहर नहीं आते हैं।

ii. कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य कार्य योजनाओं (एसएपी), उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) और वास्तविक प्रगति रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

iii. कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) तंत्र का कार्यान्वयन न होना और निर्धारित समय-सीमा के भीतर राज्य कोषागार से एसएनए खाते में निधियों का अंतरण नहीं करना है।

(घ): नशे के आदी लोगों का उपचार विभाग से सहायता प्राप्त नशा मुक्ति केन्द्रों जैसे नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), आउटरीच एवं ड्रॉप इन केन्द्रों (ओआईसी), जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) और नशे के आदी लोगों के लिए उपचार सुविधाओं (एटीएफ) में किया जा रहा है। इन केन्द्रों में स्टाफ सदस्यों को मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) और एनडीडीटीसी, एम्स, दिल्ली के माध्यम से नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 मेनटेन किया जा रहा है ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें।

अनुबंध-I

"नशामुक्ति केंद्र" विषयक राज्य सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर के बिंदु (क) से संबंधित अनुबंध

ड्रग्स की मांग में कमी करने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में ड्रग्स की मांग में कमी करने के लिए नोडल मंत्रालय है। इस विभाग ने नशीले पदार्थों के सेवन के मामले से निपटने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - ड्रग्स की मांग में कमी करने की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) बनाई है तथा इसे कार्यान्वित कर रहा है। इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि द्वारा ड्रग्स की मांग में कमी करने हेतु कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण और निवारक शिक्षा के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

ii. किशोरों के मध्य कम उम्र में ड्रग्स के सेवन की शुरूआत की रोकथाम करने हेतु समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्राप-इन केन्द्रों (ओडीआईसी) तथा जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी), नशीले पदार्थों के सेवन के पीडितों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) को चलाने और उसे मेनटेन करने हेतु एनजीओ/वीओ; और

iii. नशामुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) हेतु सरकारी अस्पताल

2. एनएपीडीडीआर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप की जाती हैं:-

i. निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन
ii. क्षमता निर्माण
iii. उपचार और पुनर्वास:
iv. गुणवत्ता मानकों की स्थापना
v. ऐसे क्षेत्रों में केंद्रित इंटरवेंशन जो नशीले पदार्थों के सेवन की दृष्टिकोण से असुरक्षित हो
vi. नशे के आदी लोगों/आश्रितों का कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका सहायता।
vii. स्कीम के अंतर्गत शामिल विषय पर सर्वेक्षण, अध्ययन, मूल्यांकन, अनुसंधान और नवाचार
viii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा ड्रग्स की मांग में कमी करने के लिए कार्यक्रम
ix. मॉनीटरिंग और मूल्यांकन, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा
x. संगठनों के लिए प्रत्यायन

3. एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए हैं:

i. 345 एकीकृत नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) जो ड्रग्स के पीडितों का इन-पेशेन्ट उपचार, परामर्श, विषहरण/नशामुक्ति, पश्चातवर्ती देखभाल तथा समाज की मुख्य धारा में वापसी कराते हैं।

ii. 47 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) कार्यक्रम ड्रग्स के बारे में जागरूकता निर्माण तथा जीवन कौशल सिखाने के लिए 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के साथ कार्य करते हैं।

iii. 74 आउटरीच तथा ड्राप इन केन्द्र (ओडीआईसी) जो छंटनी, मूल्यांकन तथा परामर्श की व्यवस्था करते हैं तथा सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं तत्पश्चात उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं को रेफरल तथा लिंकेज प्रदान करते हैं।

iv. सरकारी अस्पतालों में 105 नशामुक्त उपचार सुविधाएं (एटीएफ) बनाई गई हैं।

v. 71 जिला नशा मुक्ति केंद्र (डीडीएसी) हैं जो एक ही छत के नीचे आईआरसीए, ओडीआईसी एवं सीपीएलआई द्वारा प्रदान की गई सभी तीनों सुविधाओं को प्रदान करते हैं।

vi. इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए जियो-टैग किया गया है।

vii. नशा मुक्ति के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 14446 है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता के इच्छुक व्यक्तियों को तुरंत रेफरल सेवाएं तथा प्राथमिक परामर्श प्रदान करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

viii. नवचेतना मॉड्यूल, अध्यापक प्रशिक्षण मॉडयूलों को छात्रों (6 से 11 कक्षा), अध्यापकों तथा अभिभावकों को नशा मुक्ति से संबंधित कार्यनीतियों एवं जीवन कौशल के प्रति जागरूक बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।

4. नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए):

i. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनएमबीए का 15 अगस्त, 2020 को शुभारंभ किया गया था जो अब देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। नशामुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जनसामान्य तक पहुंचना, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों तथा विद्यालयों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ड्रग्स के सेवन के संबंध में जागरूकता करना तथा ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों की पहचान कर उन तक पहुंच बनाना, अस्पतालों

तथा पुनर्वास केंद्रों में परामर्श एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करना है।

ii. इसके शुभारंभ के बाद से, पूरे देश में बड़ी संख्या में कार्यकलाप किए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों और हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। नशीले पदार्थों के सेवन के मामले में पहले के संगठनात्मक भागीदारी के दृष्टिकोण में बदलाव आया है तथा अब सामुदायिक भागीदारी का दृष्टिकोण आ गया है। राज्यों, जिलों और अन्य हितधारकों द्वारा अभियान को अपनाए जाने से अभियान को जनांदोलन में बदलने में मदद मिली है।

iii. अब तक, जमीनी स्तर पर किए गए विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं तथा 2.34 करोड़ से अधिक महिलाओं सहित 11.15 करोड़ से अधिक लोगों को ड्रग्स के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है।

iv. अब तक 3.37 लाख से अधिक शैक्षिक संस्थाओं की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों तथा युवाओं तक पहुंचे।

v. अब तक 8,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया है।

vi. ट्विटर, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से जागरूकता का निर्माण किया गया है।

vii. एनएमबीए कार्यकलापों के आंकड़े संकलित करने तथा इन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनएमबीए डैशबोर्ड पर दर्शाने के लिए एनएमबीए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है।

viii. एनएमबीए की वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) प्रयोक्ता/व्यूवर के लिए अभियान, ऑनलाइन विचार-विमर्श मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-शपथ के संबंध में विस्तृत सूचना तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

ix. नशा मुक्ति संबंधी राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से 99,595 शैक्षिक संस्थाओं के 1.67 करोड़ से अधिक छात्रों ने नशा मुक्त होने की शपथ ली।

x. एनएमबीए की सहायता करने तथा जनजागरूकता संबंधी कार्यकलाप आयोजित करने के दि आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्मकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अनुबंध-II

देश में नशीले पदार्थ-वार, राज्य-वार व्याप्तता और नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कैनबिस				ओपियड्स				सेडेटिव्स			
	पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला	
	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी
जम्मू और कश्मीर	1.87	108000	0.69	36000	9.21	534000	0.16	8000	2.77	160000	0.16	8000
हिमाचल प्रदेश	5.96	187000	0.33	10000	11.20	351000	0.01	<1000	3.86	121000	0.20	6000
पंजाब	18.12	2424000	6.44	787000	18.20	2434000	0.37	45000	7.66	1025000	0.43	52000
चंडीगढ़	0.91	5000	0.47	2000	5.30	29000	0.10	<1000	2.57	14000	0.16	<1000
उत्तराखंड	5.61	262000	1.11	51000	4.94	230000	0.18	8000	3.90	182000	0.20	9000
हरियाणा	10.67	1328000	1.71	191000	16.21	2018000	0.31	35000	4.98	619000	0.28	31000
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	13.74	1162000	1.94	149000	14.36	1214000	0.56	43000	5.26	445000	0.29	23000
राजस्थान	0.17	55000	0.09	28000	2.86	915000	0.02	6000	0.59	189000	0.03	10000
उत्तर प्रदेश	13.22	12179000	1.07	917000	3.78	3486000	0.32	274000	2.01	1848000	0.11	94000
बिहार	2.39	1117000	0.21	88000	0.37	172000	<0.01	<1000	0.11	50000	0.01	3000
सिक्किम	19.73	60000	1.13	3000	33.46	101000	2.32	6000	27.92	84000	1.58	4000
अरुणाचल प्रदेश	12.61	83000	1.96	13000	39.00	257000	4.85	31000	10.48	69000	0.55	4000
नागालैंड	7.39	58000	1.80	13000	49.12	383000	0.30	2000	17.69	138000	0.94	7000
मणिपुर	6.93	96000	0.57	8000	22.75	314000	5.74	80000	14.64	202000	0.74	10000
मिजोरम	6.02	30000	0.49	2000	49.58	243000	2.11	10000	12.92	63000	0.65	3000
त्रिपुरा	2.36	40000	1.81	30000	9.83	166000	0.03	<1000	1.16	20000	0.06	<1000
मेघालय	3.02	39000	0.35	5000	12.35	159000	0.39	5000	1.79	23000	0.09	<1000
असम	4.42	619000	0.08	11000	5.73	803000	0.02	2000	1.54	215000	0.08	11000
पश्चिम बंगाल	1.40	600000	0.35	143000	1.53	659000	0.13	52000	1.32	568000	0.07	29000
झारखंड	0.84	126000	0.36	51000	2.09	313000	0.05	7000	1.03	155000	0.05	8000
ओडिशा	9.44	1786000	1.01	190000	5.67	1072000	0.01	2000	3.12	590000	0.16	30000
छत्तीसगढ	9.48	1129000	0.43	51000	3.08	367000	0.02	2000	2.73	325000	0.14	16000
मध्य प्रदेश	2.40	815000	0.23	74000	2.20	747000	0.19	60000	1.83	621000	0.10	32000
गुजरात	0.81	236000	0.56	149000	2.73	791000	0.00	1000	2.28	659000	0.13	33000
दमन और दीव	2.69	5000	0.19	<1000	13.53	25000	<0.01	<1000	0.21	<1000	0.02	<1000
दादरा और नागर हवेली	0.20	<1000	0.39	1000	2.78	6000	<0.01	<1000	0.41	<1000	0.03	<1000
महाराष्ट्र	3.29	1751000	0.54	269000	2.06	1096000	0.23	114000	2.05	1092000	0.11	55000
आंध्र प्रदेश	1.80	400000	0.28	64000	4.45	985000	0.01	2000	3.14	695000	0.16	35000
कर्नाटक	0.91	259000	0.16	44000	2.50	716000	0.08	21000	0.89	254000	0.05	13000
गोवा	1.97	13000	0.71	5000	4.79	32000	1.85	12000	2.50	16000	0.13	<1000
लक्षद्वीप	0.15	<1000	0.22	<1000	2.18	<1000	2.40	1000	2.04	<1000	0.11	<1000
केरल	2.52	343000	0.16	24000	1.79	243000	<0.01	<1000	1.00	135000	0.05	7000
तमिलनाडु	0.25	86000	0.06	22000	0.50	171000	0.02	6000	0.57	192000	0.03	10000
पुदुचेरी	0.34	2000	<0.01	<1000	4.46	27000	<0.01	<1000	7.64	46000	0.36	2000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.32	<1000	0.21	<1000	1.79	3000	1.73	3000	1.48	3000	0.08	<1000
तेलंगाना	0.94	149000	0.31	51000	3.98	633000	0.07	11000	2.27	362000	0.11	18000
भारत	4.91	27549000	0.65	3480000	3.87	21694000	0.16	853000	1.99	11182000	0.11	567000

नोट # ईएसटी-अनुमानित

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोकेन				एटीएस				इनहेलेंट्स				हैलूसिनोजन			
	पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला	
	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी	%	ईएसटी
जम्मू और कश्मीर	0.01	<1000	<0.01	<1000	0.03	2000	<0.01	<1000	2.19	127000	0.14	7000	0.02	1000	<0.01	<1000
हिमाचल प्रदेश	0.07	2000	0.01	<1000	0.02	<1000	<0.01	<1000	6.29	197000	0.37	11000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
पंजाब	1.12	150000	0.12	14000	1	134000	0.18	22000	1.82	243000	0.12	15000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
चंडीगढ़	0.07	<1000	0.01	<1000	0.13	<1000	0.03	<1000	0.29	2000	0.02	<1000	0.01	<1000	<0.01	<1000
उत्तराखंड	0.04	2000	0.00	<1000	0.04	2000	0.01	<1000	1.86	87000	0.11	5000	0.15	7000	0.01	<1000
हरियाणा	0.16	20000	0.02	2000	0.59	73000	0.11	12000	4.7	585000	0.3	34000	0.23	29000	0.02	2000
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.14	12000	0.02	1000	0.97	82000	0.17	13000	8.05	681000	0.51	39000	0.69	58000	0.05	4000
राजस्थान	0.17	56000	0.02	5000	0.16	51000	0.03	9000	0.24	77000	0.01	3000	0.17	55000	0.01	3000
उत्तर प्रदेश	0.03	29000	<0.01	3000	0.15	138000	0.03	26000	1.26	1161000	0.08	69000	0.04	37000	<0.01	<1000
बिहार	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.02	9000	<0.01	<1000	0.14	66000	0.01	4000	0.03	14000	<0.01	<1000
सिक्किम	1.00	3000	0.11	<1000	0.09	<1000	0.02	<1000	8.17	25000	0.53	1000	0.3	1000	0.02	<1000
अरुणाचल प्रदेश	5.29	35000	0.52	3000	6.07	40000	1.02	7000	9.88	65000	0.59	4000	0.51	3000	0.03	<1000
नागालैंड	0.48	4000	0.05	<1000	0.28	2000	0.05	<1000	1.54	12000	0.09	1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
मणिपुर	<0.01	<1000	<0.01	<1000	7.92	109000	1.28	18000	3.98	55000	0.23	3000	0.41	6000	0.02	<1000
मिजोरम	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.51	3000	0.08	<1000	5.18	25000	0.3	1000	0.15	1000	0.01	<1000
त्रिपुरा	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.02	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.02	<1000	<0.01	<1000
मेघालय	0.09	<1000	0.01	<1000	0.09	1000	<0.01	<1000	0.15	2000	0.01	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
असम	0.02	3000	<0.01	<1000	0.22	31000	0.04	5000	2.3	322000	0.14	19000	0.04	6000	<0.01	<1000
पश्चिम बंगाल	0.00	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.67	288000	0.04	17000	0.02	9000	<0.01	<1000
झारखंड	0.02	3000	<0.01	<1000	0.06	9000	0.01	1000	2.96	444000	0.18	26000	0.06	9000	<0.01	<1000
ओडिशा	0.01	<1000	<0.01	<1000	0.14	26000	0.02	4000	0.05	9000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
छतीसगढ	0.01	<1000	<0.01	<1000	0.01	1000	<0.01	<1000	1.09	130000	0.06	7000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
मध्य प्रदेश	0.12	41000	0.01	4000	0.23	78000	0.04	13000	2.1	713000	0.13	42000	0.09	31000	0.01	3000
गुजरात	<0.01	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.17	49000	0.01	3000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
दमन और दीव	1.86	3000	0.35	<1000	13.99	26000	4.46	4000	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.04	<1000	<0.01	<1000
दादरा और नागर हवेली	1.24	3000	0.16	<1000	0.19	<1000	0.04	<1000	3.21	7000	0.26	<1000	0.17	<1000	0.01	<1000
महाराष्ट्र	0.93	493000	0.09	47000	0.81	431000	0.14	70000	1.4	744000	0.09	45000	1.06	564000	0.07	35000
आंध्र प्रदेश	<0.01	<1000	<0.01	<1000	0.03	7000	0.01	2000	1.47	326000	0.08	18000	<0.01	<1000	<0.01	<1000
कर्नाटक	0.15	42000	0.01	4000	0.21	60000	0.03	8000	0.81	232000	0.05	14000	0.1	29000	0.01	3000
गोवा	0.67	4000	0.06	<1000	1.1	7000	0.18	1000	4.76	31000	0.28	2000	0.12	1000	0.01	<1000
लक्षद्वीप	1.10	<1000	0.11	<1000	1.57	<1000	0.27	<1000	1.93	1000	0.12	<1000	1.52	<1000	0.1	<1000
केरल	0.09	13000	0.01	1000	0.22	30000	0.03	5000	1.05	143000	0.05	8000	0.69	94000	0.04	6000
तमिलनाडु	0.02	7000	<0.01	1000	0.06	20000	0.01	3000	0.39	132000	0.02	7000	0.09	30000	0.01	3000
पुदुचेरी	0.00	<1000	<0.01	<1000	0.32	2000	0.05	<1000	3.34	20000	0.18	1000	0.06	<1000	<0.01	<1000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.84	2000	0.09	<1000	1.19	2000	0.22	<1000	2.94	5000	0.19	<1000	1.65	3000	0.11	<1000
तेलंगाना	0.14	22000	0.01	2000	1.23	196000	0.2	32000	1.39	221000	0.08	13000	1.17	186000	0.07	11000
भारत	0.17	953000	0.02	91000	0.28	1570000	0.05	268000	1.29	7233000	0.08	429000	0.21	1178000	0.01	54000

नोट # ईएसटी-अनुमानित

*****